

पत्र संख्या : रब/4701 यो०ज०सं०-02/2012 - । ७४

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, रौची ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रौची, दिनांक : ।-२-१३

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180796740545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180796740545	18.74

आवंटित राशि – ₹ अठारह लाख चौहत्तर हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध रु. 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-2, पर वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

(मुकुंद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की नियमी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मर्दों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 फरवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।
- नोट :** यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
- अनुलग्नक—यथोक्त्।**

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :—

| ७४

रॉची, दिनांक :— १०-२-१३

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.— हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :—

| ७४

रॉची, दिनांक :— १०-२-१३

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पैंच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

१.१८
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

६९
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

५६
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

५५
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

५१
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

(झारखण्ड विभाग)
(भौतिक विभाग)

(झारखण्ड विभाग)
(भौतिक विभाग)

(झारखण्ड विभाग)
(भौतिक विभाग)

विभागीय पत्रांक १८६ दिनांक १-२-१३ का अनुलग्नक

ਸੌਂ ਸੰਖਾ-੧੦-ਜਲ ਸੰਸਥਾਵਿਆ

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-४०-सामान्य,

लघु शीर्ष -796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उप शीर्ष-74-मध्यम सिधाइ परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कायदे एवं दायित्व

सीधे-05-लिमाण, 45 मुख्य लिमाण काये, विपत्र कोड- 49P470180796740545
विनियम 2012-13 देश जारी 1500 ०० बात (प्रदर्शन) पाव-

ପ୍ରକାଶ ମେସରେ 2012-13 ଏ ବଜାର ଉପରେ 1500.00 ଟଙ୍କା ହୁଏ।

卷之三

(राशि लाख ₹ में)

आवांटि राशि - ₹ अठारह लाख चौहत्तर हजार मात्र।

१८०५

२०१
६

(सुबोध कुमार
संयुक्त सचिव)

(बी. सी. निलाम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

पंक :-

178 दिनांक 12-13

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड - 49P4701807 740545

(लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	पूर्व आवंटित राशि	अतिरिक्त आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

ON GOING WORK(Spill Over)

सिंचाई प्रमंडल, बुधू	सुरंगी जलाशय योजना	Repair and Maintenance of Surangi R.M.C from km 0.305 to km 5.886,	9.91	0.00	9.91	
		Resedual E/W of Surangi Left main canal	1.88	0.00	1.88	
		Construction of S.L.R. Bridge at ch. 420, 1380, 7715, 8385, 8605 of L.M.C.	10.58	0.00	10.58	
		Contruction of 8 No. outlet in surangi L.M.C.	0.53	0.00	0.53	
		Construction of 6Nos. Outlet from 0.305km to 5.886 km of surangi RMC	0.62	0.00	0.62	
		Construction of 6No. Of outlet from 5.886km to 13.10km of Surangi R.M.C	0.70	0.00	0.70	
		Bed clearance and Enbankment repairs from 5.886 km to 13.10 km of Surangi RMC	2.04	0.00	2.04	
		Construction of RCC culvert at 1.47km of Nagasarin Distribustory	0.49	0.00	0.49	
		योग	26.74	0.00	26.74	

NEW- WORK

सिंचाई प्रमंडल, बुधू	सुरंगी जलाशय योजना	Construction of Shiv Mandir in Buruhatu Village above F.R.L as per demand of displaced persons	0.91	0.00	0.91		
		Construction of Gauge in Reservoir	0.60	0.00	0.60		
		Maintenance of Inspection Vehicle (1 No)	1.00	0.00	1.00		
		For Commissioning of Canal	10.00	0.00	10.00		
		Repair of Canal bank, CD Fall & other Structure of Surangi Right Left Canal	0.00	9.56	9.56		
		Repair of Super Passage & its Service Road at 860 M of Surangi Left Main Canal	0.00	7.18	7.18		
		Repair of Canal bank & Fall at different points of Burhadih distributory	0.00	1.52	1.52		
		Jungle Clearance in Rarhgaon distributory	0.00	0.48	0.48		
		योग	12.51	18.74	31.25		
		सकल योग	39.25	18.74	57.99		

आवंटित राशि - ₹ अठारह लाख चौहत्तर हजार मात्र।

(सुरेण्ड्र प्रसाद मगत)

सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभि.)

(सुदीर्घ कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

प्रक्रिया	प्रक्रिया	प्रक्रिया	प्रक्रिया
प्रक्रिया	प्रक्रिया	प्रक्रिया	प्रक्रिया
प्रक्रिया	प्रक्रिया	प्रक्रिया	प्रक्रिया
प्रक्रिया	प्रक्रिया	प्रक्रिया	प्रक्रिया
प्रक्रिया	प्रक्रिया	प्रक्रिया	प्रक्रिया

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

(सुदीर्घ कुमार सिंह)